



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2684]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 29, 2013/अग्रहायण 8, 1935

No. 2684]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 29, 2013/AGRAHAYANA 8, 1935

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

अधिसूचना

NOTIFICATION

नई दिल्ली, 29 नवम्बर, 2013

New Delhi, the 29th November, 2013

का.आ. 3534(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान बंगलौर, अधिनियम, 2012 (2012 का 38) की धारा 1 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 29 नवम्बर, 2013 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम प्रवृत्त होगा।

S.O. 3534(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 1 of the National Institute of Mental Health and Neuro-Sciences, Bangalore Act, 2012 (38 of 2012), the Central Government hereby appoints the 29th day of November, 2013, as the date on which the said Act shall come into force.

[फा. सं. वी-18013/10/2012-पी.एच.-I]

[F. No. V-18013/10/2012-PH-I]

सुश्री सुजया कृष्णन, संयुक्त सचिव

Ms. SUJAYA KRISHNAN, Jt. Secy.